न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

दावा सं0:—	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
69/13	11.3.13	28.12.22

उनवान

1. श्रीमति विद्यादेवी पत्नी श्री राजराम कोम अहीर निवासी बोलनी तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—वादीया

बनाम

1. चुन्नीलाल पुत्र मूलचन्द
2. श्रीमति बिरमा पत्नी चुन्नीलाल
3. जसवंत पुत्र चुन्नीलाल
4. हुकमचन्द पुत्र चुन्नीलाल
5. पतराम पुत्र चुन्नीलाल जाति अहीर साकिन बोलनी
6. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास
7. संतकोर पुत्री हरीसिंह हाल पत्नी सेवकसिंह जाति सिकलीगर निवासी मंगली कालोनी खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर।

:—प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हु0इ0दवामी

उपस्थितिः—

1. वादी की ओर से श्री संतोष कुमार वकील।
2. प्रतिवादी की ओर से रतिराम चौधरी वकील।

निर्णय

वकील वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है विवादित आराजी वादीया की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी ख0नं0 211 रकबा 1—04 बि0 व ख0नं0 213 रकबा 3—04 बि0, वाके ग्राम मौजा बोलनी तहसील किशनगढबास में स्थित है जो उपरोक्त आराजी वादीया एवं प्रतिवादी नं0 1 की मुश्तर्का कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो मौके पर वादीया एवं प्रतिवादी नं0 1 ने आधी आधी बांटी हुई है।यानि की वादीया अपने 1/2 हिस्से पर तथा प्रति0 नं0 1 अपने 1/2 हिस्से पर काबिज शान्ति पूर्वक रह कर काश्त करते चले आ रहे है।

28/12/22

उपरोक्त आराजीयात के अलावा वादीया की स्वयं की व्यक्तिगत कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी भी उपरोक्त आराजीयात के साथ लगती हुई ख0नं0 207,208,209 है अलबत्ता इसको बाबत कोई विवाद नही है । प्रति0सं0 1 की पत्नी प्रति0नं0 2 के नाम से ख0नं0 210 रकबा 1-05 बि0 वादीया की स्वयं की खातेदारी ख0नं0 208, व 209 के साथ लगती हुई है वास्ते मुलाहिजा नकल नक्शा मौजा बोलनी सं0 2029 से 2048 पेश है।

यह उल्लेखित करना भी आवश्यक है कि वादीया ने अपने कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी ख0नं0 213 में अपने हिस्से से रिहायशी मकान बनाया हुआ है जिसका रिहायश को आवागमन का एक मात्र रास्ता सरकारी भूमि गैर मुमकिन नदी ख0 नं0 39 से होकर है जिसका उपयोग व उपभोग वादीया अर्सो दराज से शान्ति पूर्वक करती आ रही है रास्ता मौके पर आज भी जारी है।

वादीया एक शान्ति प्रिय घरेलू औरत है जो अपनी काश्त की आराजी में रिहायश कर मकान आदि निर्माण कर रही है। रास्ते का उपयोग व उपभोग कर रही है। प्रतिवादीगण मुत मर्द व लजाकू किस्म के व्यक्ति है जो कायदे कानून की कतई परवाह नही करते है तथा वादीया के रिहायशी मकान में जाने के एक मात्र रास्ते जो राजस्व रिकार्ड के ख0नं0 39 से होकर जाता है को बन्द करने को आमादा है तथा आये दिन राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत होने की धमकी देकर रिहायशी को जाने के एक मात्र रास्ते को बन्द कराने की नियत से ख0नं0 39 के कुछ हिस्से को आवंटन करा रास्ते को बन्द करने की धमकी देते है। क्योकि प्रतिवादीगण की इसके लगती हुई ख0नं0 210 कृषि आराजी है। जो प्रतिवादीया नं0 2 के नाम से 7/9 का अंकन आया हुआ है। के बेजा फायदा उठाकर वादीया के रिहायशी के जाने के एक मात्र रास्ते को बन्द करना चाहते है।

विवादित आराजी की बाबत वादीया ने अनेको बार प्रति0 से अपना खाता कानूनन अलग अलग करवाने व बाई मीट्स बटवारा कराने हेतू कहा लेकिन प्रतिवादीगण बंटवारा कराने को तैयार नही कानूनन वादीया अपना बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा कर अपने नाम का अलग से अंकन कराने की अधिकारिनी है। अलबत्ता वादीया एवं प्रतिवादी नं0 1 ने अपना अपना हिस्सा बंटाकर डोल कायम की हुई है। व अपने अपने हिस्से पर रह कर शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग कर रहे।

प्रतिवादीगण रास्ते को बन्द करने को अमादा है प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति बहक वादिया खिलाफ प्रतिवादीगण है यदि प्रति0 रास्ते को बन्द करने मे कामयाब हो गये तो वादिया को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी कीमत रूपयो मे नही आंकी जा सकती एवं वादिया को बेजा रूप से मुकदमें बाजी में पडना पडेगा।

22/12/22

इसलिए वादिया प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने की अधिकारीणी है कि वह वादिया के रास्ते में रूकावट न डाले जोत बौ आदि कर रास्ते को सकडा न करे एवं रिकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे। जिसके लिए अलग से स्थाई निषेद्याज्ञा का प्रार्थना पत्र दावा के साथ पेश किया है।

वादिया ने प्रतिवादीगण को अनेको बार तकासमा करने को कहा परन्तु प्रतिवादीगण तकासमा कराने को तैयार नही हुए दिनांक 03.05.2005 को प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से तकासमा कराने से इन्कार कर दिया तथा ख0नं0 39 से निकल कर वादीया के रिहायश की जाने के एक मात्र रास्ते के बन्द करने व जोतने की धमकी दी बस यही से दावा हाजा के लिए बिना दावी बिना मुखसमत पैदा होकर दावा हाजा श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजिम आया है। जिसके लिए वादीया ने राजस्व रिकार्ड की नकल व कानुनी सलाह प्राप्त की है।

आराजी ख0सं0 211 रकबा 1–4 व ख0नं0 213 रकबा 3–04 वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास का वादीया व प्रतिवादी नं0 1 1/2–1/2 भाग का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बटवारा किया जाकर कुरेजात कायम की जाकर खाता अलग अलग किया जावे इस अमर की प्रारम्भिक डिक्री जारी कर बाद तहकीकात राजस्व रिकार्ड में खाता अलग अलग करने की डिक्री जारी कर राजस्व रिकार्ड में खाता अलग–अलग किया जावे।

ताफैसला प्रतिवादीगण को इस अमर से पाबन्द किया जावे कि वो वादीया के रिहायशी मकान जो ख0नं0 213 में बना हुआ है में जाने के एक मात्र रास्ते जो ख0नं0 39 से निकल कर जा रहा है मौके पर जारी है को किसी तरह का आवागमन वादीया में मजाहमत व मदाखलत पैदा ना करे, टैक्टर, ऊट गाडी के निकलने मे बाधा न डाले ख0नं0 210 की आड मे ख0नं0 39 के किसी भी भाग जो रास्ते का हिस्सा है का आवटंन न कराए वो राजस्व रिकार्ड व मौके के स्थिति यथावत बनाये रखें।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश किया कि वादिया का वाद गलत है स्वीकार नही है। वादीया का वाद बाबत आराजी ख0न0 211 रकबा 1–04, 213 रकबा 3–04 बिस्वा वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास जिला अलवर की बाबत विवादित बताया गया है तथा तकासमा बमय हु0 दवामी का ही अनुतोष प्रतिवादीगण 1 लगा05 के खिलाफ मांगा है। आराजी ख0न0 39 अविवादित और गैरमुन्तकिल गैरकाबिज वादीया होने से इस हद तक बाद जांच वादीया काबिल खारिज है। आराजी ख0न0 हाल 39 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा आराजी का गत पुराना ख0न0 14 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा तथा 153 मिन रकबा 5 बिस्वा तथा 148 मिन रकबा 1 बिस्वा से मिलकर बनाया गया है। और ख0नम्बर 153 मिन रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम

28/12/22

बोलनी तहसील किशनगढबास प्रतिवादीया सन्तकौर के पिता स्व0 श्री हरिसिह सिकलीगर की अलोट शुद्वा है ओर कीमत करजा भरकर ,खातेदारी हासिल कर ली है। साबिक ख0न0 ख0न0 153 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा मे से 1 बीघा 05 बिस्वा हाल ख0न0 210 मे मिलाया गया है। व शेष 5 बिस्वा हाल ख0न0 39 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा मे सेटलमेंट विभाग को पूर्व दर्ज इन्द्राज अभिलेखदि मे परिर्वतन करने का कोई अधिकार नही है। इसलिए ख0न0 39 हाल का रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा कोई भी अंश/हिस्सा अर्थात 05 बिस्वा गैर मु0 रास्ता या सिवायचक कानूनन नही हो सकता और न वर्तमान मे उक्त 05 बिस्वा कोई रास्ता है। आराजी ख0न0 39 रकबा 05 बिस्वा की बाबत पूर्ण निर्णित रेशजुडीकेडा की श्रेणी में आता है। चूकि पक्षकारान के मध्य उक्त आराजी की बाबत अदालत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा दावा संख्या 41 दिनांक 30.10.2006 की मेरिट के आधार पर फैसल हो चुका है। इसलिए वादिया का मौजूदा वाद चलने योग्य नही है। खारिज फरमाया जावे।

जवाब दावा पेंश होने पर तनकीयात कायम की गईः–

तनकीयातः–1.

आया वादिया ख0नं0 211/1–04, 213/3–04 वाके ग्राम बोलनी मे 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार होने के कारण बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा कराने की अधिकारी है। :–जि0वादी

तनकीयात–2

आया वादिया अपने खातेदारी में स्थित उसकी रिहायस के रास्ते को बन्द न करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने की अधिकारी है। :–जि0वादी

तनकी–3

आया आ0ख0नं0 39 रकबा 5 बिस्वा वाके ग्राम बोलनी प्रति0नं0 7 के कब्जा काश्त की आराजी है जिसके वादिया का कोई संबंध वो सरोकार नही है ना ही इस आराजी में कोई रास्ता है। :–जि0प्रति0

तनकी–4

आया वादिया का वाद न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में ना होने के कारण काबिल खारिज है। :–जि0प्रति0

तनकीयात कायम किये जाने के पश्चात् उभयपक्ष की साक्ष्य ली गई। वादिया ने साक्ष्य मे स्वयं के बयान **pw1**, राजाराम पुत्र श्रीराम **pw2** के शपथ पत्र पेश किये। तथा वकील प्रतिवादी ने पूर्व मे पेश साक्ष्य को ही साक्ष्य मानने का निवेदन किया ।

22/12/22

उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है:–

तनकी नं0–1

आया वादिया ख0नं0 211/1–04, 213/3–04 वाके ग्राम बोलनी मे 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार होने के कारण बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा कराने की अधिकारी है? इस तनकी का भार वादिया पर था। वादीया ने आराजी ख0न0 211/1–4, 213/3–04 बिस्वा हेतु बाई मीटस एण्ड बटवारे का दावा पेश किया है। तथा आराजी ख0न0 213 के 1/2 भाग मे रिहायशी मकान बना रखा है तो आराजी विवादित होने का प्रश्न पैदा नही होता । कब्जे अनुसार तहसीलदार किशनगढबास या न्यायालय हाजा में सहखातेदारो को पक्षकार बनाकर शुद्ध हस्त होकर न्यायालय मे नियमानुसार वाद पेश करना चाहिए था। चूकि वादिया उक्त आराजी की 1/2 भाग की सहखातेदार है तो यह तनकी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

तनकी नं0 –2 आया वादिया अपने खातेदारी में स्थित उसकी रिहायस के रास्ते को बन्द न करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने की अधिकारी है।इस तनकी का भार भी वादिया पर था।इस तनकी बाबत वादिया ने कोई दस्तावेजात पेश नही किये क्योकि यदि वादिया को अपनी खातेदारी मे जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है तो नियमानुसार न्यायालय मे उपस्थित होकर वाद पेश करे। क्योकि ख0न0 39 के साबिक ख0न0 153/1–5 बिस्वा के स्थान पर 1 बीधा 10 बिस्वा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 30.6.2006 मे आदेशित किया जा चूका है। इसके बाद कोई रास्ता नही बचता । जिसे वादिया दुरूस्त कराकर रास्ता कायम करा सके। यह तनकी बहक प्रतिवादीगण विरूद्व वादी तय की जाती है।

तनकी–3

आया आ0ख0नं0 39 रकबा 5 बिस्वा वाके ग्राम बोलनी प्रति0नं0 7 के कब्जा काश्त की आराजी है जिसके वादिया का कोई संबंध वो सरोकार नही है ना ही इस आराजी में कोई रास्ता है। इस तनकी का भार प्रतिवादीया सं0 7 पर था। प्रतिवादीया द्वारा पेश जमाबंदी संवत 2029 के इन्द्राजत बाबत न्यायालय हाजा ने निर्णय दिनांक 30.6.2006 में ख0न0 साबिक 153 के रकबा 1–10 का अलोटी प्रतिवादीगण सं0 7 के पिता हरिसिंह को अलोट हुई थी इस बाबत की पुष्टि उक्त निर्णय मे हुई है इस प्रकार यह तनकी बहक प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नं0–4

आया वादिया का वाद न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में ना होने के कारण काबिल खारिज है। तनकी नं0 1,2,3, विरूद्व वादी तय की जा चूकि है । अतः यह तनकी भी बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी तय की जाती है।

20/12/22

उपरोक्त तनकीवार किये गये विवेचनानुसार वादिया को बटवारे हेतु वा
पृथक से पेश करना चाहिए। तथा ख0न0 39 रकबा 0.05 बिस्वा प्रतिवादीया सं0 7 क
पूर्व में ही न्यायालय हाजा द्वारा खातेदार घोषित किया जाकर डिक्री दिनांक 30.6.200
पारित की जा चूकि है इस प्रकार वादीया को वाद लाने का कोई अधिकार हासिल न
है। वाद सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत हो
है।

अतः आदेश है कि:—

वाद वादी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत आराजी हाल 21
रकबा 1—04 बिस्वा, 213 रकबा 3—04 बिस्वा वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबा
व आराजी ख0न0 39 रकबा 0.05 बिस्वा सारहीन होने के कारण खारिज किया जा
है। खर्चा उभयपक्ष स्वयं वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होव
बाद तकमील दाखिल लेख भण्डार हो सुनाया गया।

28/12/20

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

दावा संः—	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
69/13	11.3.13	28.12.22

उनवान

1. श्रीमति विद्यादेवी पत्नी श्री राजराम कोम अहीर निवासी बोलनी तहसील किशनगढवास जिला अलवर राज0।

:—वादीया

बनाम

1. चुन्नीलाल पुत्र मूलचन्द
2. श्रीमति बिरमा पत्नी चुन्नीलाल
3. जसवंत पुत्र चुन्नीलाल
4. हुकमचन्द पुत्र चुन्नीलाल
5. पतराम पुत्र चुन्नीलाल जाति अहीर साकिन बोलनी
6. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास
7. संतकोर पुत्री हरीसिंह हाल पत्नी सेवकसिंह जाति सिकलीगर निवासी मंगली कालोनी खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर।

:—प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हु0इ0दवामी

उपस्थितिः—

1. वादी की ओर से श्री संतोष कुमार वकील।
2. प्रतिवादी की ओर से रतिराम चौधरी वकील।

पर्चा डिक्री

वाद वादी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत आराजी हाल 211 रकबा 1—04 बिस्वा, 213 रकबा 3—04 बिस्वा वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास व आराजी ख0न0 39 रकबा 0.05 बिस्वा सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभयपक्ष स्वयं वहन करेगें। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल लेख भण्डार हो सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)